राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड
४४ए, इंदिरा गांधी नहर मंडल, भवानी सिंह रोड़, जयपुर

गैर सरकारी विप्र संगठन सम्बद्धता दिशा–निर्देश, 2023

राजस्थान राज्य के ऐसे अनेक गैर सरकारी संगठन/संस्थाएँ हैं, जो विप्र जनों के कल्याणार्थ सतत रूप से कार्य कर रहे है। ऐसे संगठनों द्वारा की जा रही सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक, विप्र समाज की आर्थिक अभिवृद्धि, सामाजिक बुराईयो/कुरीतियों को दूर करने, पूजारियों/कर्मकाण्डी को रोजगार के बेहत्तर अवसर/सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं वैदिक गतिविधियों को बोर्ड से प्रत्यक्षतः जोडे जाने, विशिष्ट गतिविधियों के पारस्परिक आदान–प्रदान, बोर्ड के विशिष्ट कार्यो/योजनाओं को एक माध्यम से क्रियान्वित कराये जाने एवं ऐसे संगठनों को सक्षम स्तर से यथोचित सहायता प्रदान करवाये जाने हेतु बोर्ड से संबद्धता के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः

1. शीर्षक एवं विस्तार

I. यह दिशा निर्देश **"गैर सरकारी विप्र संगठन सम्बद्धता दिशा–निर्देश, 2023"** कहलायेंगे।

2. इन दिशा निर्देशों का कार्यक्षेत्र (विस्तार) सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगा।

2. उददेश्य

1. विप्र समाज के सर्वागींण विकास के लिए कार्यरत गैर सरकारी विप्र संगठनों मान्यता/ संबद्धता प्रदान करना।
2. गैर सरकारी विप्र संगठनों द्वारा विप्र समाज के लिए सम्पादित की जाने वाली विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक, विप्र समाज की आर्थिक अभिवृद्धि, सामाजिक बुराईयो/कुरीतियों को दुर करने, पूजारियों/कर्मकाण्डी को रोजगार के बेहत्तर अवसर/सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं वैदिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करना।
3. बोर्ड के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गैर सरकारी विप्र संगठनों का सहयोग प्राप्त करना।
4. बोर्ड द्वारा विप्र समाज के गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न राजकीय विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों द्वारा प्राप्त की जाने वाली राजकीय सहायता /अनुदान/भूमि आवंटन आदि को प्राप्त करने हेतु अभिशंषा करना एवं विप्र समाज के गैर सरकारी संगठनों व राज्य सरकार के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करना।
5. राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड को प्रदत्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समस्त गैर सरकारी विप्र संगठन को एक छत के नीचे संगठित करते हुए समाज की अभिवृद्धि के लिए कार्य करना।

सचिव
राज. राज्य विप्र कल्याण बोर्ड
जयपुर

3. संबद्धता हेतु पात्रता

1. विप्र कल्याण हेतु राजस्थान राज्य में कार्यरत गैर सरकारी विप्र संगठन एवं संस्था जो राजस्थान सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम,1958 अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत अथवा अन्य समकक्ष अधिनियम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में किसी भी राजकीय विभाग/संस्था में आवश्यक रूप से पंजीकृत हो।
2. गैर सरकारी विप्र संगठन कम से कम 3 वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो।
3. गैर सरकारी संगठन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 7011 दिनांक 10.02.2022 में प्रदत्त उद्देश्ययों यथा मंदिर एवं धार्मिक संस्थाओं तथा ट्रस्ट में सेवा पूजा करने वाले बतौर कार्मिक कार्य करने वाले पूजारियों/सेवकों/कर्मचारियों को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना, विप्र वर्गो के लोगो की आर्थिक अभिवृद्धि के लिए कार्य करना, ब्राहमण समाज की सामाजिक बुराईयों/कुरीतियों के विरूद्ध कार्य करना, ब्राहम्ण समाज की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना का कार्य किया जा रहा हो।
4. गैर सरकारी विप्र संगठन द्वारा राज्य में विप्र कल्याण के क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक, विप्र समाज की आर्थिक अभिवृद्धि, सामाजिक बुराईयो/कुरीतियों को दुर करने, पूजारियों/कर्मकाण्डी को रोजगार के बेहत्तर अवसर/सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं वैदिक गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हो।

4. संबद्धता हेतु अन्य शर्ते

1. गैर सरकारी विप्र संगठन का कार्यालय आवश्यक रूप से राज्य के किसी भी जिला/तहसील/ग्राम में अवस्थित हो।
2. गैर सरकारी विप्र संगठन की जनसाधारण, प्रशासन और सामाजिक संगठनों में अच्छी साख हो तथा महिलाओं की समुचित भागीदारी हो।
3. गैर सरकारी विप्र संगठन की कार्यकारिणी में यथासंभव सामाजिक प्रतिनिधित्व समाहित हो।
4. गैर सरकारी विप्र संगठन की वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी, व्यवस्थित एवं नियमित अंकेक्षित प्रक्रिया से शासित हो।
5. गैर सरकारी विप्र संगठन के आय के स्रोत पारदर्शी हो।
6. गैर सरकारी विप्र संगठन के पदाधिकारियों को आपराधिक प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो एवं लिप्त नहीं हो।

5.संबद्धता की प्रक्रिया

1. गैर सरकारी विप्र संगठन द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए नियमानुसार आवेदन किया जा सकेगा।
2. गैर सरकारी विप्र संगठन द्वारा इस प्रायोजन ऑनलाइन/ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किये जायेगें।

सचिव
राज. राज्य विप्र कल्याण बोर्ड
जयपुर

3. गैर सरकारी विप्र संगठन द्वारा बोर्ड कार्यालय में निर्धारित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं सम्बद्धता आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत किये जायेगें।
4. प्रदेश स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर अथवा अन्य समकक्ष स्तर ईकाई के पदाधिकारीयों की सूची साफ्ट/हार्ड कॉपी में अनिवार्य प्रस्तुत किये जायेगें।
5. बोर्ड द्वारा सम्बद्धता हेतु प्राप्त आवेदनों की छटनी के लिए बोर्ड स्तर पर समिति गठित की जायेगी।
6. बोर्ड द्वारा गठित समिति की अनुशंषा पर बोर्ड के माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्बद्धता के संबंध में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जायेगा।
7. बोर्ड के पास गैर सरकारी विप्र संगठन से प्राप्त किसी भी आवेदन को बिना किसी कारण अंकित किये खारिज करने का अधिकार होगा।
8. बोर्ड द्वारा किसी गैर सरकारी विप्र संगठन से आवेदन के प्राप्त होने के 3 माह के अवधि में निर्णय लिया जायेगा।
9. बोर्ड द्वारा गैर सरकारी विप्र संगठन को प्रदान किये जाने वाली सम्बद्धता उसके विप्र समाज के कल्याण हेतु निर्धारित गतिविधियों एवं कार्यक्षेत्र के लिए प्रदान की जायेगी।
10. बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्राप्त गैर सरकारी विप्र संगठनों की सूची विभिन्न माध्यमों से प्रकाशित/संप्रदर्शित की जायेगी।

6. संबद्धता की अवधि

1. बोर्ड द्वारा गैर सरकारी विप्र संगठन को प्रदान किये जाने वाली सम्बद्धता 3 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. गैर सरकारी विप्र संगठन द्वारा सम्बद्धता की अवधि पूर्ण होने से पूर्व नियमानुसार नवीनीकरण के लिए बोर्ड में आवेदन किया जा सकेगा।

7. संबद्धता शुल्क

1. बोर्ड से संबद्धता के लिए प्रारम्भिक सम्बद्धता शुल्क रू. 101/- होगा।
2. सम्बद्धता के नवीनीकरण हेतु नवीनीकरण शुल्क रू. 51/- होगा।

8. सम्बद्धता का निरस्तीकरण

1. बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लधंन किये जाने की स्थिति में।
2. विप्र समाज के कल्याण के हितों के अतिरिक्त अनियमित/विधि विरूद्ध कार्यकलापों में संलिप्त होने की स्थिति में।
3. गैर सरकारी विप्र संगठन/पदाधिकारी को किसी न्यायालय द्वारा सजा/दण्डित किये जाने की स्थिति में।
4. विप्र समाज के कल्याण के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता को दुरुपयोग एवं वित्तीय विपथन किये जाने की स्थिति में।
5. बोर्ड द्वारा किन्हीं गतिविधियों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में।

सचिव
राज. राज्य विप्र कल्याण बोर्ड
जयपुर

6. बोर्ड द्वारा सम्बद्धता निरस्त किये जाने से पूर्व गैर सरकारी विप्र संगठन को उचित सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।
7. प्रत्येक तीन माह में संस्था के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जायेगी। लगातार 2 बैठकों में अनुपस्थित संगठनों की सम्बद्धता निरस्त किया जायेगा।

9. गैर सरकारी संगठन के उत्तरदायित्व

1. विप्र समाज के कल्याण के लिए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक, आर्थिक अभिवृद्धि, सामाजिक बुराईयो/कुरीतियों को दुर करने, पूजारियों/कर्मकाण्डी को रोजगार के बेहत्तर अवसर/सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं वैदिक गतिविधियों का आयोजन करना।
2. बोर्ड द्वारा निर्धारित गतिविधियों के आयोजन में बोर्ड को अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराना।
3. बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश का पालन करना।
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् नये वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में वार्षिक कार्यकलापों का प्रतिवेदन एवं आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

10. विविध

1. गैर सरकारी विप्र संगठनों को सम्बद्धता प्रदान करने की समस्त कार्यवाही इन दिशा निर्देशों के अनुसरण में की जायेगी।
2. बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्राप्त गैर सरकारी विप्र संगठनों के साथ छःमाही स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जायेगा।
3. गैर सरकारी विप्र संगठनों को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए निर्मित इन दिशा निर्देशों में संशोधन, समीक्षा एवं शिथिलता प्रदान करने की शक्तियां माननीय अध्यक्ष महोदय में निहित होंगी।

*****

सचिव
राज. राज्य विप्र कल्याण बोर्ड
जयपुर